

प्रपत्र. छः

भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक :- नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हाथरस।

सेवा में,

श्री कृष्ण कुमार दीक्षित & श्री रमेश चन्द्र दीक्षित
निर्देशक-ग्राम बाजार प्रशासक
नि० ६५०५ प्लॉट नं० २३, सेक्टर-३२
हारिया, नई दिल्ली-११००६५

महोदय,

कालौनी / मार्ग / मोहल्ला / ग्राम बाजार मोहल्ला नगर, हाथरस में प्लॉट सं० १९३०, १९३१, १९३२, १९६०, १९६१ पर हाजरी सं० के भवन सं० १९३३, १९३४, १९३५, १९३६, १९३७, १९३८, १९३९ में के निर्माण / परिवर्तन / परिवर्धन / सारवान बदलाव / गिराने के सम्बन्ध में आपकी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सं० RB-94/2013-14 दिनांक 07-10-2013 के संदर्भ है आपको सूचित किया जाता है कि नियत प्राधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 18-1-2014 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र प्रस्तावित निर्माण को अनुज्ञा प्रदान कर दी है।

1. यह अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक से केवल 5 वर्ष के लिए वैध है। समस्त निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में स्वीकृत मानचित्रनुसार ही पूर्ण किया जायेगा व निर्माण कार्य के समय मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखा जायेगा।
2. निर्माण कार्य के दौरान यदि स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण में कोई परिवर्तन किया जाय तो उसके लिए पूर्वानुमति प्राप्त करके ही किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी है। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने अथवा स्वामित्व किसी सक्षम न्यायालय से समाप्त होने पर स्वीकृति प्रभावी नहीं होगी।
4. मानचित्र जिस प्रयोजन के भवन हेतु स्वीकृत है भवन केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
5. निर्माण कार्य के समय कोई निर्माण सामग्री या मलबा किसी अन्य व्यक्ति की भूमि व विभाग की भूमि पर बिना अनुमति के नहीं रखा जायेगा।
6. दरवाजे खिडकियाँ इस प्रकार लगाई जायेगी कि वह किसी अन्य व्यक्ति की भूमि या सड़क / सर्विस लेन की ओर न खुलें।
7. बिजली लाईन के 5 फुट के भीतर तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने व समाप्त होने की सूचना विभाग को दी जायेगी व विधिवत पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
9. स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य करने पर अध्या 10 आर 0बी 0 ओ 0 एक्ट 1958 आपके विरुद्ध कार्यवाही अभल में लायी जायेगी।
10. भविष्य में यदि किसी विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा विकास शुल्क मांगा जायेगा तो वह अनापत्ति देय होगा।
11. यह पाये जाने पर कि आपने गलत तथ्यों के आधार पर यह अनुज्ञा प्राप्त कर ली है तो अनुज्ञा रद्द कर दी जायेगी तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
12. उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी यदि निर्माण कार्य के दौरान नियत प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य शर्त आरोपित की जायेगी तो वह अनापत्ति मान्य होगी।
13. सुझाव है कि आवेदक भूकम्परोधी व्यवस्था / उपाय स्वयं सुनिश्चित करायें।
14. आवेदक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्वयं अप्रति स्तर से करानी होगी।

दिनांक :- 18-1-2014 आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सं० RB-94/2013-14 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र प्रस्तावित निर्माण को अनुज्ञा प्रदान कर दी है।

कार्यालय की मुहर



विपत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस

कार्यालय सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश
नगर निगम भवन, द्वितीयतल, आगरा-2

क्रमांक-24-/आ.ख./हाथरस वि.क्षे./भव.मा./तक.आ./2013-14 दिनांक : सितम्बर 2013

सेवा में,

नियत प्राधिकारी,

विनियमित क्षेत्र, हाथरस।

विषय :- भवन मानचित्र पर अनापत्ति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सीमो/वि.क्षे.हाथरस/2013 दिनांक 16.09.2013 के साथ संलग्न डीम टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मेण्डू नगर क्षेत्र में प्रस्तावित मानचित्र तथा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत अभियन्ता की स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण आख्या एवं शासकीय संगत प्राविधानों के आलोक में इस कार्यालय द्वारा सम्पादित तकनीकी परीक्षण के आधार पर अनापत्ति इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि प्रासंगिक स्थल पर की गई प्रस्तावना से सम्बन्धित भवन मानचित्र की स्वीकृति के पूर्व कृपया स्थल से पहुँच मार्ग के मार्गाधिकार प्राप्ति हेतु नगर निगम की अनापत्ति निर्गत के अन्तर्गत प्राविधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था तथा सतपश्चात शासकीय प्राविधानों के अनुसार समूह आवास हेतु निर्धारित तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक संशोधन के साथ-साथ भवन को भूकम्परोधी बनाए जाने हेतु स्ट्रक्चर डिजाइन, अपेक्षित पाकिये प्लान, धूम्रारोपण लैण्ड स्केपिंग, रेनवाटर हावैस्टिंग एवं सोलरवाटर हिटिंग आदि के प्राविधान एवं अपेक्षित अनापत्तियों एवं प्राविधानों के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाओं के तहत मानचित्र स्वीकृत किया जाना श्रेयकर होगा।

प्रस्तुत किये गये भवन मानचित्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित नोट आवश्यक कार्यावाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
R. R. R. R. R.
(अ.पी. सचिव)
सहयुक्त नियोजक
सम्भागीय नियोजन खण्ड

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट / नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हाथरस


पत्रांक : 521/वि०क्ष०हाथरस/2015

दिनांक : 03-11-2015

श्री कृष्ण कुमार दीक्षित
डायरेक्टर झीम टाउन डवलपर्स, प्रा०लि०

विषय—झीम टाउन डवलपर्स प्रा०लि० के उत्कृष्ट लोटस ग्रीन्स प्रोजेक्ट के संशोधित मानचित्र के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थनापत्र दिनांक 30.10.2015 के अनुक्रम में सूचनीय है कि, संलग्न संशोधित मानचित्र तकनीकी रूप से मान्य है तथा इसके संबंध में, इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
संलग्नक—यथोपरि।



उप जिला मजिस्ट्रेट /
नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट / नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हाथरस

पत्रांक 25 // वि०क्षे० हाथरस / 2015

दिनांक : 19 / 11 / 2015

सहयुक्त नियोजक,
सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०,
नगर निगम भवन, आगरा-2

विषय- ड्रीम टाउन डवलपर्स प्रा०लि० के मैण्डू रोड, हाथरस स्थित आवासीय प्रोजेक्ट 'सत्कृत लोटस ग्रीन्स' के द्वारा मानचित्र पर अनापत्ति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया श्री कृष्ण कुमार दीक्षित, ड्रीम टाउन डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र (दो सैट), भूस्वामित्व संबंधी अभिलेख विक्रयपत्र, पूर्व स्वीकृत मानचित्र पर निर्गत अनापत्ति एवं मानचित्र की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि, कृपया संलग्न मानचित्र की तकनीकी जांचोपरांत, मानचित्र के एक सैट सहित, अपनी स्पष्ट अनापत्ति/आपत्ति यथाशीघ्र इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

(केहरी सिंह)
उप जिला मजिस्ट्रेट /
नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, हाथरस

प्रतिलिपि-श्री कृष्णकुमार दीक्षित, ड्रीम टाउन डवलपर्स प्रा०लि०, मैण्डू रोड, हाथरस, को सूचनाार्थ।

उप जिला मजिस्ट्रेट /
नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस

FROM : MM NAGAR FAX

FAX NO. : 231595

10 Oct. 2013 3:13PM P1

प्रास्तव- "क"
[नियम 3 का उपनियम (1) देखिए]
विकास/पुनर्विकास

सेता में

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र
जिला
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं एतद्वारा आवेदन-पत्र देता हूँ कि मैं कालीनी/मार्ग में प्लाट
मुहल्ला/बाजार नगर में प्लाट
संख्या में शजरा संख्या की भूमि का
विकास/पुनर्विकास करना चाहता हूँ और उ०प्र० (निर्माण-कार्य विनियम) नियमावली, 1985 के
नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार मैं इसके साथ निम्नलिखित नदशों और विवरण-पत्रों (मद
1 से 4) की धार प्रतिपत्तियाँ जो मेरे और (बड़े अक्षरों में नाम),
सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त वास्तुविद/अभियन्ता/नगर नियोजक/समूह द्वारा जो उसके
विकास का पर्यवेक्षण करेंगे, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और प्रत्येक विवरण-पत्र /दस्तावेज(जैसा
प्रयोज्य हो) (मद संख्या 5 और 6) की प्रतिलिपि अग्रसारित करता हूँ।

1. मूल नदशों
2. स्थल नदशा
3. विन्यास नदशा
4. विवरण-पत्र
5. स्वामित्व हक और दस्तावेज
6. आवेदन फीस के भुगतान की रसीद।

मैं अनुरोध करता हूँ कि योजना अनुमोदित किया जाय और भूमि का विकास करने के लिये मुझे
अनुज्ञा दी जाय।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
(बड़े अक्षरों में)
आवेदक का पता

दिनांक

100 9/10/2013-14



वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 2
प्रपत्र संख्या 43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

कोषागार प्रपत्र 209(1)
RB-94/2013/4

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा उपकोषागार/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रायपुर
- 1- जिस व्यक्ति (परनाम यदि आवश्यक हो) DR. AM LALINI ROYALMATHY
को उक्त नाम MT LTD HATHRA
- 2- पता SITE - MENDU TEH HATHRA
- 3- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम बाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
- 4- खाता की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि) APPROXIMATE FIVE
किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के Prescribed Authority
पक्ष में जमा की जा रही है। Regulated Org HATHRA
- 5- खातान की सुरक्षा धनराशि HUNDREDS ONLY
- 7- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुद्रा
- 8- लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

सूचना लेख शीर्षक	उप सूचना शीर्षक	राशि शीर्षक	उप शीर्षक	श्रीरकार शीर्षक	धनराशि (शंको में)
0070	60	800	10	-	55600

धनराशि (शंको में) FIFTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED ONLY

आगत में लेखाशीर्षक को पुष्टि करने वाले प्रदाता का नाम व पता
विश्ववीथ अधिकारी के द्वारा कर मुद्रा सहित

आगत संख्या प्राप्त किये।
दिनांक प्राप्तकर्ता के द्वारा कर
10/3/1945 उपकोषागार/बैंक की मुद्रा



Common
Pay in Slip

Deposited in _____ Branch

Account Maintained at _____ Branch

Name of Account Holder M. B. G. ...

A/c No. 0246101025220

Cash Cheque ₹ 7,59,000/-

Amount in words सात लाख 59 हजार 000

Chq. No / Date	Drawee Bank & Branch	Amount (Rs.)
		7,59,000
Total		7,59,000

Signature of Cashier

Signature of Supervisor